(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/3233 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.08.2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 3/2016-17/अपील

---

1. कमलसिंह
2. रामविलास
3. उदयसिंह
4. वैजंयतीबाई
5. मुन्नीबाई
6. गुड्डीबाई

पुत्र पुत्री श्री नंदराम
निवासीगण ग्राम बरैठा
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. राहुल पुत्र बलवीरसिंह
2. बलवीरसिंह पुत्र श्री सुखलाल .....अनावेदकगण
3. नबाबसिंह पुत्र नामालुम

निवासी खल्लासीपुरा शिन्दे की छावनी लश्कर

4. लक्ष्मीबाई पुत्री नंदराम

निवासी हाथीखाना रोड मुरार
पाताली हनुमान के पास

5. शीलाबाई पुत्री सुखलाल

निवासी काल्पीब्रिज कालोनी
पेट्रोल पंप के सामने मुरार .....फॉरमल अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी.एम.गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री आर.के.जैन, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2 व 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 29.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार मुरार तहसील ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 34/2011-12/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 14-08-2012 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के समक्ष दिनांक 23-11-2016 को लगभग 4 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/2016-17/अपील दर्ज कर दिनांक 29-08-2017 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि राजस्व मंडल द्वारा कई न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये है कि किसी भी प्रकरण में क्षेत्राधिकार संबंधी कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, तब न्यायालय को प्रथम स्तर में ही प्रारंभिक आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जाना चाहिए, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें जानकारी की दिनांक 5-10-2016 खसरे की नकल प्राप्त करने पर होना बनाया गया है, जबकि अपने आवेदन पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिनांक 5-10-2016 को उसे खसरे की नकल की क्यों आवश्यकता हुई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 4 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि दयाराम के भूमिस्वामी स्वत्व की थी और उसके द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का बटवारा दोनों पुत्रों को की गई थी, जिसके आधार पर दोनों पुत्रों का अलग-अलग खाता कायम किया गया था । अनावेदक क्रमांक 1 को आवेदकगण के खातों में किसी प्रकार का कोई स्वत्व प्राप्त न होने से उसे अपील करने का अधिकार नहीं था और ना ही उसके हित प्रभावित हो रहे थे । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम इस बिन्दु का निराकरण करना चाहिए

था कि अनावेदक क्रमांक 1 को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है या नहीं, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु का निराकरण किये बगैर ही आदेश पारित किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्चतम एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि जहां कोई अपील समय बाह्य प्रस्तुत की गई है, वहां विलम्ब का कारण एवं जानकारी का स्त्रोत स्पष्ट किया जाना चाहिए, परन्तु अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपने आवेदन पत्र में जानकारी के बावजूद भी अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकपक्षीय है क्योंकि आवेदकगण द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, उक्त आपत्ति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचना किये बगैर और आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क क्यों माने जाने योग्य नहीं है, की विवेचना किये बगैर जो पारित किया है, वह बोलता हुआ आदेश नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा उसे न तो सूचना दी गई न ही उसे आदेश की जानकारी दी गई और न ही उक्त आदेश उसपर संसूचित किया गया । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 तहसील न्यायालय के आदेश के समय नाबालिक था और बालिक होने पर उसके द्वारा खसरे की नकल हेतु दिनांक 5-10-2016 को प्रस्तुत करने पर उसे तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्राप्त हुई । इस आधार पर कहा गया कि जानकारी की दिनांक से अपील समय सीमा में प्रस्तुत की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है क्योंकि प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को विधिवत न्याय प्राप्त हो सके ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 व 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक के तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ अनावेदक क्रमांक 3 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 प्रश्नाधीन भूमि का सह भूमिस्वामी है, किन्तु बटवारे की कार्यवाही में न तो उसे पक्षकार बनाया गया है और न ही तहसील न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा अन्य बिरूद्ध

रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी म.प्र.तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"परिसीमा-आरंभ होने का बिंदु-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया-वाक्य "आदेश की तारीख" -अर्थ-"आदेश की जानकारी की तारीख" के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।

"शब्द तथा वाक्य- वाक्य "आदेश की तारीख"- अर्थ-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया- वाक्य "आदेश की तारीख" का "आदेश की जानकारी की तारीख" के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । वैसे भी प्रकरण का निराकरण समय-सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 29.08.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर